न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 109/2020

वादी :– बख्तावरमल बाफना पुत्र छगनराज जाति ओसवाल निवासी कनाना तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. रूपचन्द पुत्र धनराज जाति ओसवाल निवासी कनाना

,2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

वाद पत्र वास्ते बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अचलाराम थोरी वकील वादी

श्री विक्रम आसिया वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 7.01.2021

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा कनाना, पटवार हल्का कनाना तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में भूमि खेत खसरा सं. 468 रकबा 6.03 बीघा, 469 रकबा 9.14 बीघा कुल रकबा 15.17 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में वादी के पिता छगनमल के खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु 1973 में होने पर फौतगी म्युटेशन वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के नाम भरा गया था। फौतगी म्यूटेशन भरते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी के सही नाम बख्तावरममल के स्थान पर वगतावरमल दर्ज कर दिया, जो अशुद्व है, वादी के अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड इत्यादी में वादी का सही व वास्तविक नाम बख्तावरमल दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी उक्त भूमि बाबत सरकारी योजनओं का लाभ भी नहीं ले सकता है, अलावा इसके रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज होने से मौके पर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिससे रेकर्ड में जरिये फौतगी म्युटेशन सं. 275 वादी का नाम अशुद्व दर्ज है। जिसकी जानकारी वादी को हाल ही में राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने से प्रथम बार हुई तब प्रतिवादी सं. 01 को प्रतिवादी सं. 02 के कार्यालय में उपस्थित होकर रेकर्ड दुरूस्त कराने हेतु कहा तब वादी व प्रतिवादी सं. 01 प्रतिवादी सं. 02 के कार्यालय में उपस्थित हुए, किन्तु उक्त त्रुटि फौतगी म्युटेशन के जरीये होने का कथन कर दुरस्ती करने से इंकार कर दिया, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज वादी का अशुद्व नाम जो जरिये फौतगी म्युटेशन दर्ज हुआ है, उक्त म्युटेशन का निरस्त कर वादी का सही व वास्तविक नाम दर्ज करने एवं फौतगी [illegible] निरस्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:08:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक [illegible].2020 को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 23.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 के [illegible] उपस्थित जबाब पेश जाहिर किया गया की फौतगी म्युटेशन सं. 275 के जरीये राजस्व रेकर्ड में दर्ज वगतावरमल नाम अशुद्व है , सही नाम बख्तावरममल है, राजस्व रेकर्ड में वगतावरमल पुत्र छगनराज के

Scanned with CamScanner

स्थान पर बख्तावरमल बाफना पुत्र छगनराज दर्ज किया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है। ताबाद तहसीलदार पचपदरा से इस संबंध में रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा कमांक/राजस्व/2020/2383 दिनांक 29.12.2020 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि बगतावमल पुत्र श्री छगनमल तथा बख्तावरमल पुत्र छगनराज दोनो एक ही व्यक्ति है । पहचान कार्ड, पेन कार्ड, में बख्तावरमल पुत्र छगनराज बाफना दर्ज है जो नियमानुसार शुद्व किया जाना उचित है।

हमने दोनो पक्षों की बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात की छाया प्रति आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । जिसमें वादी का सही व शुद्व नाम बख्तावरमल पुत्र छगनराज बाफना है। अतः वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौजा कनाना, पटवार हल्का कनाना तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में भूमि खेत खसरा सं. 468 रकबा 6.03 बीघा, 469 रकबा 9.14 बीघा कुल रकबा 15.17 बीघा जमाबंदी खतौनी के राजस्व रेकर्ड, में वादी का सही नाम बख्तावरमल बाफना पुत्र छगनराज जाति ओसवाल का अमलदरामद दर्ज करे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:08:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner